

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

दिल्ली की लाडली योजना मे ऐसे कर सकते है आवेदन, बेटी को मिलेंगे इतने हजार रुपये ।

Publisher

Published on 12 Jul 2025



राजधानी दिल्ली में बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है लाडली योजना, जानिए आवेदन की प्रक्रिया और लाभ की पूरी जानकारी ।

दिल्ली : अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आपके घर बेटी का जन्म हुआ है, तो आपके लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार की **“लाडली योजना”** बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी शिक्षा को मजबूती देने के लिए एक अहम कदम है. इस योजना के तहत **सरकार बच्ची के जन्म से लेकर स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता** देती है. आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ।

क्या है लाडली योजना ?

“दिल्ली लाडली योजना” की शुरुआत **1 जनवरी 2008** को **महिला एवं बाल विकास विभाग**, दिल्ली सरकार द्वारा की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके शिक्षा खर्च को आर्थिक सहायता से सपोर्ट करना है.

इस योजना में सरकार बच्ची के जन्म पर **₹11,000 (अस्पताल में जन्म)** या **₹10,000 (घर पर जन्म)** की राशि उसके नाम से जमा करती है. इसके बाद जब बच्ची **कक्षा 1, 6, 9, 11 और 12** में प्रवेश करती है, तो हर बार **₹5,000 की राशि** और दी जाती है.

यह राशि **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) – लाइफ इंश्योरेंस प्लान** के तहत निवेश की जाती है. जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है और कम से कम 10वीं कक्षा पास कर लेती है, तब उसे यह राशि ब्याज समेत प्रदान की जाती है.

योजना के लिए पात्रता

१. आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए (कम से कम 3 साल से)

२. बेटी दिल्ली में जन्मी होनी चाहिए
३. अभिभावक दिल्ली में पंजीकृत स्कूल में बच्ची को पढ़ा रहे हों
४. परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
५. अधिकतम दो बेटियाँ तक ही लाभ दिया जाएगा

आवेदन की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन :

1. सबसे पहले जाएं **e-District** पोर्टल.
2. "Citizen Corner" में **New User** पर क्लिक करें.
3. आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरे और डिक्लेरेशन को चेक करें
4. फिर लॉगिन डिटेल्स मोबाइल/ईमेल पर मिलेगी
5. लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरे और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

2. ऑफलाइन आवेदन :

नजदीकी जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय या सरकारी स्कूल से आवेदन फॉर्म लें.
फॉर्म को भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय में जमा करें

जरूरी दस्तावेज

१. बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र
२. आधार कार्ड (बच्ची और माता-पिता)
३. दिल्ली निवास प्रमाणपत्र
४. स्कूल प्रमाणपत्र
५. पासपोर्ट साइज फोटो
६. बैंक खाता विवरण

योजना के लाभ

१. बेटी के जन्म पर ₹10,000 से ₹11,000
२. कक्षा 1, 6, 9, 11, 12 में प्रवेश पर ₹5,000 प्रति बार
३. 18 वर्ष की उम्र और 10वीं पास करने पर पूरी राशि ब्याज समेत मिलती है
४. इससे बच्ची की उच्च शिक्षा या शादी में मदद मिल सकती है

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com